हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 17.09.2021 को श्रीयुत राधा माइंस, मालिक श्रीमती राधा गुप्ता, मकान संख्या 165, वार्ड संख्या 4 , बद्रीपुर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) की मोजा मोहाल बांगरण, खसरा नंबर 175,219/176,218/176,177/1, 247/221/1, 248/221, 220/178, 179, 180, 223/181/1, 255/227 और 256/227 गांव बांगरण तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) (3.5403 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 38070 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 17.09.2021 को श्रीयुत राधा माइंस, मालिक श्रीमती राधा गुप्ता, मकान संख्या 165, वार्ड संख्या 4 , बद्रीपुर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई श्री मिंटू कश्यप गांव बांगरण के खुले खेत मे की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा मोजा मोहाल बांगरण, खसरा नंबर 175,219/176,218/176,177/1, 247/221/1, 248/221, 220/178, 179, 180, 223/181/1, 255/227 और 256/227 (3.5403 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 38070 टन प्रति वर्ष) हेतु, ई. आई. ऐ. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों सूचि संलग्न-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत कराया गया।

अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदया की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री पवन शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी, पाँवटा साहिब।	इन्होने कहा कि खनन क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने का क्या प्रावधान है?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी के छिड़काव की व्यवस्था समर्पित टैंकर के माध्यम से की जाएगी जो दिन में दो बार संचालित होगी।

2	श्री विवेक महाजन, एस.डी.एम, पांवटा साहिब।	इन्होने कहा कि सीएसआर के लिए क्या प्रावधान है और वाहनों की आवाजाही के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रस्तावित उपाय क्या है। इन्होने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बेलिंग मशीन को स्थानीय क्षेत्र/पंचायत में स्थानीय आबादी के लाभ के लिए स्थानांतरित किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सीएसआर प्रावधान के तहत हम कुल निवेश 20 लाख रुपय का 2% खर्च करेंगे, जिसमें स्थानीय पंचायत के परामर्श से तय किए गए स्थानों पर चार सोलर लाइटों की स्थापना और एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन शामिल है। सड़कों के रखरखाव के लिए आवश्यकता पड़ने पर सड़कों की मरम्मत के लिए व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा प्लास्टिक बेलिंग मशीन निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला के कार्यालय को सौंप दी जाएगी।
3	श्रीमती सोनाक्षी तोमर, अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर।	इन्होने कहा कि खनन गतिविधियों से उत्पन्न कचरे के लिए क्या प्रावधान है (परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित लगभग 4230 टन)? और सी.एस.आर. के तहत कितनी स्ट्रीट लाइट प्रस्तावित हैं।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन कचरे के सुरक्षित डंपिंग के लिए हमने अलग से निजी जमीन लीज पर ली गई है। इलाके में बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि आसपास के इलाके में जगह-जगह धूल न फैले।
4	श्री दर्शन लाल, ग्राम बांगरन, पांवटा साहिब।	इन्होने कहा कि क्या स्थानीय लोगों को बालू और बजरी जैसी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हम सी.एस.आर के तहत प्रस्ताव के अनुसार सहायता प्रदान करेंगे।
5	श्री प्रेम दास, ग्राम काहनूवाला, बांगरन, पांवटा साहिब।	इन्होने कहा कि हमें इस परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि खनन क्षेत्र गांव से काफी दूरी पर है और कहा कि इकाई द्वारा उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाएं और स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सर्वोत्तम उपलब्ध. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाएंगे। इकाई में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी।

		जाए।	
6	श्री अनिल कुमार, स्थानीय पंचायत के वार्ड सदस्य।	इन्होने कहा कि क्या स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा ?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि रोजगार के लिए स्थानीय युवको को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
7	श्री रत्ना राम, ग्राम बांगरन, पांवटा साहिब।	इन्होने कहा कि इस खनन पट्टे से स्थानीय लोगों और किसानों को क्या लाभ होगा? स्थानीय लोगों को अपने घरों के निर्माण के लिए क्या रेत और बजरी जैसे कच्चे माल प्राप्त होंगे?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हम उन सभी लोगों को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराएंगे जो हमसे संपर्क करेंगे। सामग्री प्राप्त करने के लिए किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
8	श्रीमती रचना, स्थानीय निवासी।	इन्होने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि खनन गतिविधि से स्थानीय लोगों को लाभ हो और घरों के निर्माण के लिए कच्चा माल मिले।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन गतिविधि शुरू होने के बाद हम स्थानीय लोगों की मदद करेंगे।
9	श्री मिंटू कश्यप, ग्राम बांगरन, पांवटा साहिब।	इन्होने कहा कि खनन गतिविधि और कच्चे माल के परिवहन से धूल की संभावना है जो हमारे कृषि क्षेत्रों में फैल जाएगी और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएगी। इसके लिए इकाई क्या उपाय करेगी?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि प्रस्तावित खनन गतिविधि मैन्युअल रूप से की जाएगी और गांव की स्थानीय आबादी और कृषि भूमि से बहुत दूर है; हालांकि वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए, पानी के टैंकरों के माध्यम से दिन में दो बार नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा।
10	श्री आदेश शर्मा, स्थानीय और समाचार संवाददाता अमर उजाला।	इन्होने कहा कि खनन स्थल से कच्चे माल के परिवहन के लिए इकाई को वाहन की आवश्यकता होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि स्थानीय लोगों से वाहनों को किराये पर लिया जाए ताकि स्थानीय लोगों को गतिविधि से लाभ हो।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हम कच्चे माल के परिवहन के लिए स्थानीय लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को किराये पर लेंगे।

....

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है।

अंत मे जनसुनवाई के समापन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

30/9/21

अतिरिक्त उपायुक्त

नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)